

पत्र संख्या- स0द0/आबकारी/2018-19/

2200

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30प्र0।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 26 फरवरी, 2019

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,

ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,

असिस्टेन्ट कमिश्नर, (सचलदल) वाणिज्य कर,

वाणिज्य कर अधिकारी, (सचलदल)

उत्तर प्रदेश।

आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में अवैध देशी शराब एवं विदेशी मदिरा की तस्करी के कारण हो रही राजस्व क्षति को रोकने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में वाणिज्य कर विभाग से सहयोग की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि रोड चेकिंग के दौरान दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश होते हुए अरुणाचल प्रदेश एवं अन्य पूर्वी प्रदेशों के लिए जाने वाले अल्कोहल से भरी गाडियां (ट्रक एवं टैंकर) पाए जाने पर इसकी सूचना आबकारी विभाग के स्थानीय अधिकारियों को तत्काल दी जाए जिससे सम्बन्धित विभाग द्वारा जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।



(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।